महामानवचम्पू काव्य में वर्णित अपराध

डॉ0 भक्तवत्सल

अध्यापक सह प्रधानाचार्य आर0आर0बी0+2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, कथैयाँ, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार

संस्कृत वाङ्मय में विभिन्न अपराधों का विवेचन वैदिक काल से होता रहा हैं। ऋग्वेद में वर्णित भारतीय समाज में दास, दस्यु, अव्रत तथा अपव्रत जैसे निम्न समाज के लोग रहते थे, जो समाज को कष्ट देते थे, लुटते थे। अतएव तत्कालीन समाज इन्हें अपराधी मानता था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वैसे वह स्वार्थी जीव भी है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रभावों को करके वह अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहता है। स्वार्थ की सिद्धि में वह अपराध भी कर बैठता है।

सुप्रसिद्ध विद्वान Halsubury[1] ने Halshury's Law of England में अपराध को स्पष्ट करते हुए लिखा है–

Crime is an unlawful act of default which is an effence agains the public and which renders the Perpetrator of the act or default liable to legal punishement."

अर्थात् अपराध एक गैर कानूनी कार्य या दोष है, जो जनता के विरूद्ध असन्तोष है, और जो उस कार्य या दोष के अपराधी को कानून दण्ड का भी भागदारी बना देता है।

''नहि मनुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्''।

अर्थात् मनुष्य संसार की सर्वोत्तम रचना है और उसको श्रेष्ठ बनाने में महान तत्त्व है, उसका धर्म या मानवता। कविवर भर्तृहरि ने मनुष्येतर प्राणी पशु–पक्षी आदि से मनुष्य की तुलना करते हुए कहा है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन की प्रवत्ति, प्रकृति सभी प्राणियों में समान रूप से होती है। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से उपर उठाता है।

''आहार निद्राभयमैथुनानि समानि चैतानि नृणां पशूनाम्।
ज्ञानं नराणामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समाना।।

चाणक्य नीति दर्पण–17/17

दूसरी तरफ भर्तृहरि कहते हैं जिसके पास धन है, वही व्यक्ति कुलीन पण्डित विद्वान, गुणज्ञ, वक्ता, दर्शनीय तथा पूजनीय होता है।

'' यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः।
स एव वक्ता च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति।।

भतृहरि नीतिश्लोकः – 40

अभिज्ञान् शाकुन्तल नाटक में शकुन्तला दुष्यन्त की चिन्ता में खोयी रहती है। समागत अतिथि दुर्वासा का सम्मान नहीं करने के (अपराध) कारण दुर्वासा उसे शाप (दण्ड) देते हैं कि स्मरण दिलाने पर भी वह तुझे उसी तरह भूल जायेगा जैसे कोई पागल मनुष्य अपनी पिछली बातों को भूल जाया करता है।[3]

''विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्।
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव।।''[4]

तमसा नदी के तट पर जा रहे महर्षि वाल्मीकि के सामने क्रीड़ारत क्रौञ्च पक्षी के जोड़े में से एक को व्याधा के द्वारा मार दिया जाता है, फलतः उनकी अन्तर्वेदना इस प्रकार स्फुटित हो जाती है।

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः।
यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्।।

रामायण के अनुसार शिकारी को पक्षियों को मारने की आजादी शायद नहीं थी। फलतः ऐसा दण्ड उसे भोगना पड़ा।

आधुनिक भारतीय दण्ड विधि के अनुसार अपराधों का वर्गीकरण किया गया है।[5]

1. शरीर सम्बन्धी अपराध
2. सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध
3. दस्तावेज सम्बन्धी अपराध
4. मानसिक स्थिति को प्रभावित करनेवाले अपराध।
5. लोकशान्ति के विरूद्ध अपराध
6. राज्य के विरूद्ध अपराध एवं
7. लोक सेवकों से सम्बन्धित अपराध।

साधारणतया पाप और अपराध एक ही हैं। किन्तु पाप और अपराध में अन्तर है।

1. धार्मिक विधानों के उल्लंघन को पाप कहते हैं। किन्तु राज्य के कानूनों का उल्लंघन अपराध कहलाता है।
2. पाप का सम्बन्ध धर्म से है, किन्तु अपराध का सम्बन्ध विधि अर्थात् कानून से है।
3. पापी और अपराधी दोनों को दण्ड मिलता है किन्तु पापी को ईश्वर दण्ड देता है तथा अपराधी को राज्य सरकार दण्डित करती है।
4. पाप कर्म के लिए क्षति का होना अनिवार्य नहीं है जबकि अपराध के लिए क्षति का होना अनिवार्य है।
5. पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करना होता है, परन्तु अपराध के लिए दण्ड प्रायश्चित झेलना पड़ता है।
6. अपराध एक सापेक्ष घटना है, जबकि पाप निरपेक्ष घटना है।

आचार्य डॉ0 जयमन्त मिश्र विरचित महामानव चम्पू काव्य 21 वीं शताब्दी की कालजयी कृति है। इस ग्रन्थ के 13वें उल्लास के तृतीय विलास तथा 17वें उल्लास के चतुर्थ विलास में अपराधों का निरूपण किया गया है। जो निम्नवत् है–

1. राष्ट्रसंघ का विशेषाधिकारः– राष्ट्रसंघ का विशेषाधिकार पाँच राष्ट्रों को अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैड एवं जर्मनी को है। इस प्रकार कुछेक सबल राष्ट्र दुर्बल राष्ट्रों पर अत्याचार करते है; अपराध करते हैं।

2. भ्रूण हत्या– मानवाधिकार के पोषक राष्ट्र भी आज कन्या भ्रूण हत्या को रोक नहीं पा रहे हैं। वस्तुतः, भौतिकवादी युग में जहाँ मनुष्यों में केवल भौतिक सुख प्राप्त करने की लिप्सा मात्र रह गयी है, जिसके कारण मनुष्य धन को ही जीवन का साध्य मान लिया है। परिणामतः भ्रूण–हत्या जैसे महान कुकृत्य आये दिन घटित हो रहे हैं। वस्तुतः, नारी, नर की अमोघशक्ति है, उसकी जननी है, उसकी सहयोगिनी है। नारी वह धुरी है, जिसपर सम्पूर्ण मानव समाज आधारित है। कहा वह भी गया है नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।''

3. बलात्कार – काम की प्रवृत्ति, प्रकृति प्रदत्त है। किन्तु मनुष्य सीमा–मर्यादा, कुल की परम्परा आदि को ध्यान में रखते हुए जीवन–यापन करता है तो श्रेयस्कर है। वर्तमान परिवेश में मनुष्य पशु से भी अधिक पतित हो गया है। काम की प्रवृत्ति पशुओं में भी पायी जाती है किन्तु उसकी यह स्वाभाविक काम प्रवृत्ति नियंत्रित और संयमित होती है। दूसरी तरफ कामान्ध पुरूष किसी परम्परा, नियम, विधान या मर्यादा आदि का विचार नहीं कर पतित हो जात है। महान् राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इन पतितों को पशु की श्रेणी में भी लाना पसन्द नहीं करते।

'करते हैं हम पतित जनों मैं
बहुधा पशुता का आरोप
करता है पशु वर्ग कितना क्या
निज निसर्ग नियमों का लोप?
मैं मनुष्यता को सुरत्व की,
जननी भी कह सकता हूँ,
किन्तु पतित को पशु कहना भी
कभी नहीं सह सकता हूँ।

पंचवटी मैथिलीशरण गुप्त

कविता सं0– 05–12

4. विशिष्ट विवाह की उपेक्षा एवं तुच्छ कारणों से विवाह विच्छेद :–

भौतिकवादी सुख की लिप्सा के कारण छोटी –छोटी वस्तुओं के लिए पति–पत्नी में विवाद उत्पन्न होकर विवाह विच्छेद की नौबत आ जाती है।

5. सुख के सभी साधनों के विद्यमान होने पर भी बालक, युवा और बुढ़ों के बीच हिंसा की प्रवृति – बढ़ रही है।

भ्रष्टाचार के कारण सर्वत्र त्राहिमाम् की स्थिति बन गयी है। अब प्रश्न उठता है कि भ्रष्टाचार है क्या? स्थापित मूल्यों के विरूद्ध आचरण करना भ्रष्टाचार है। पुनः, प्रश्न है, स्थापित मूल्य क्या है? मनुष्य जब से सभ्य हुआ, मानव जीवन के विकास के लिए जो नियम–कानून निर्धारित किये गये, वे ही स्थापित मूल्य हैं। आज स्थापित मूल्यों में चतुर्दिक परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, न्यायिक सभी जगह हुए हैं। जिससे सामाजिक ईर्ष्या–द्वेष की स्थिति बढ़ती गयी और अन्ततः परिणाम भयंकर होता गया।

6. भोग को ही जीवन का लक्ष्य मानना तथा महिलाओं का शीलहरण करना –

भोगवाद के कारण ही समाज में जिस्मफरोशी अथवा वेश्यावृत्ति का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है जिसके कारण समाज की सारी मान्यतायें खण्डित हो रही हैं। डिस्को क्लब, पश्चिमी संस्कृति आदि ने शरीर प्रदर्शन के साथ 'यूज एण्ड थ्रो' पे एण्ड इन्ज्वाय' आदि श्लोगन भारतीय मर्यादाओं को नष्ट कर रहा है।[7]

''विहाय कामान्यः सर्वानपुमांश्चरति निःस्पृहः।
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति।।

गीता – 2/71

7. संस्कृति के विरूद्ध नारी को प्रदर्शन के लिए उत्साहित करना –

भारतीय संस्कृति में ''असूर्यम्पश्या नारी'' का विधान कालकवलित हो रही है। हम अपने आदर्शों का सर्वथा त्याग कर विदेशियों का अनुकरण कर रहे हैं, फलतः संस्कृति को हानि हो हो रही है।

8. अध्यात्मवाद के प्रति अनास्था, भोगवाद के प्रति आस्था। मानसिक प्रदूषण ही भोगवाद का मूल कारण है। जब हमारे विचार प्रदूषित होते हैं तब हमारे कार्य भी प्रदूषित होते हैं। महाकवि भास स्वप्नवासवदत्तम् नाटक में लिखा है।

'' प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते।।[8]

9. प्रशासकीय नियमों में शिथिलता तथा अनुशासनहीनता –

रक्षक या प्रशासक यदि मजबूत होता है तो बल प्रयोग द्वारा अर्थात् दण्ड देकर उसे कानून को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है। किन्तु प्रशासक अयोग्य कमजोर एवं विपन्न है तो 10 प्रतिशत लोग नियमों को तोड़कर अनुशासनहीनता को उत्पन्न कर देते हैं।

10. स्वार्थपरता के कारण वृद्ध माता–पिता की उपेक्षा –

आचार्य मनु के अनुसार अभिवादनशील और बुढ़ों की सेवा करनेवालों की निरन्तर, आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्।।

परन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के नवयुवक इसके विपरित आचरण कर स्वार्थ सिद्धि चाहते हैं।

''सुर–नर मुनि सबकी यही रीति।

स्वारथ लागि करहिं सब प्रीति।।

11. आतंकवादः– आधुनिक युग में आतंकवाद न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु विश्व के लिए एक भयावह समस्या है। मुख्यतया तोड़–फोड़ अपहरण लुट–खसोट।

बलात्कार, हत्या आदि करके अपनी बातों को मनवाना आतंकवाद है।

आतङ्को लुण्ठनं चौर्यं हिंसनम् प्राणधातनम।

बलात्कारापहरणं चापराधस्य मूर्तयः।।

12. शिक्षा में कदाचार :– प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली से अधिक सुदृढ़ थी। भारत में गुरूकुल शिक्षा प्रणाली विकसित थी, परन्तु आधुनिक युग में गुरू छात्रों के घर जाकर पढ़ाते हैं। इस बदली हुई परिस्थिति में शिक्षा में कदाचार होना स्वाभाविक है। आज शिक्षा कई वर्गों में विभक्त है– प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, महाविद्यालयी शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा आदि शिक्षा का व्यवसाय भी शिक्षा में कदाचार की स्थिति को उत्पन्न करती है।

13. नियुक्ति में धांधली :–

नियुक्तियों में धांधली और कुछेक बाहुबलियों के कारण सुयोग्य लोगों की उपेक्षा की जा रही है और अयोग्य लोगो को प्रोत्साहित कर सम्मानित किया जा रहा है।

''नियोजन– समस्येयं वर्ततेऽत्र भयावहा।

चयन–प्रक्रिया यस्माद् विधतेऽति खिदाप्रदा।।

14. राजनीति में अनीति – प्राचीन काल में राजा नीति धर्म पर आधारित होती थी। वर्तमान राजनीति में नीति कहीं से सुरक्षित नहीं है। नीति के निर्माणकर्त्ता ही नीतियों की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में समाज के कल्याण पर बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न लग जाता है। राजनीति को नीतिपरक बनाने की आवश्यकता है।

15. अपहरण – वर्तमान युग में भोगवाद की लिप्सा बढ़ रही है और कार्य करने की प्रवृत्ति घटी है। बिना परिश्रम किये सुख पाना सभी चाहते हैं जो स्वथा कठिन है। सुख की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण अपहरण उद्योग का प्रचलन बढ़ा है।

16. घूसखोरी – घूसखोरी समाज की एक बड़ी समस्या है। आजकल घूसखोरी मानव–जीवन से सम्बन्धित सभी कार्यालयों में व्याप्त है। नेता, प्रशासक, कर्मचारी, शिक्षक, सभी घूसखोरी को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लिये हैं।

17. चोरी–डकैती – मुख्य अपराध है। घरों में, बैंकों में, सरकारी कार्यालयों एवम् ट्रेनों में आये दिन डकैती की घटना घटती रहती है। हमारे समाज में चोरी की समस्या प्राचीन काल में भी थी। जिसका अदाहरण ऋग्वेद में वर्णित शर्मा–पणि आख्यान है।

18. छल–प्रपञ्च :– आधुनिक युग में सत्य बोलना, सत्य के अनुरूप आचरण करना सर्वथा कठिन है। अधिकाधिक लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से छल प्रपञ्च का सहारा लेते हैं। महाभारत काल में छल– प्रपञ्च का साम्राज्य फैलने लगा। युधिष्ठिर की सत्यवादिता से शत्रु भी आश्वस्त थे। जब अश्वत्थामा हाथी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। तब द्रोणाचार्य के प्रति छल–प्रचञ्च कर उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की बात फैलायी गयी।

''अश्वत्थामा हतो नरो कुञ्जरो वा।''

इस प्रकार महामानव चम्पू: में समाज में घटित होनेवाले सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदि अनेक प्रकार के अपराधों का विवेचन किया गया है।

संदर्भ–सूची

1. Halsbury's Law of England Vol. IX - 232
2. चाणक्यनीति दर्पण – 17/7
3. अभिज्ञानशाकुन्तलम् – 4/51
4. वाल्मीकि रामायण – 1.2.15
5. भारतीय दण्ड संहिता – (लेखक राजाराम यादव) 05
6. महामानव चम्पू – पृ0सं0 – 452
7. गीता – 2/7
8. महामानवचम्पू – 452
9. महामानवचम्पू – 579
10. महामानवचम्पू – 579